तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.01.2026	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित ।	

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस है कि अज अदालत में विचाराधीन मूल वाद बाबत अधिकारो की घोषणा को दिनांक 02.08.204 को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है जो प्रथम दृष्टया सशक्तप्रकरण है प्रार्थिनी (वादिनी) का निधन दिनांक 01.05.23 को हो गया जिसकी सूचना प्रार्थी द्वारा न तो अधिवक्ता को दी गई और न ही स्वंय अदालत में उपस्थित हुआ जिस पर अज अदालत द्वारा दिनांक 02.08.2024 को उक्त वाद अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया, प्रार्थी/ वादी संख्या 02/01 विधवा है तथा उसका पुत्र प्रार्थी संख्या 2/2 नाबलिग है व अध्ययनरत है इस कारण वादी संख्या 2/1 व 02/02 पेशी तारीख 02.08.2024 को उपस्थित नहीं हो सके। उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर मूल वाद पत्र को रस्टोर करने का आदेश फरमाया जावे।

विप्रार्थी (प्रतिवादी) अधिवक्ता की बहस है कि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट से गोमाराम, मादाराम पिसरान मोटाराम के नाम अलग–अलग हो गई थी, सेटलमेन्ट के बाद से उनके जीवनकाल तक दोनो भाईयों की बीच जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं था,गोमाराम ने अपने नाम की खातेदारी भूमि का विप्रार्थी चेनाराम पुत्र पाताराम चौधरी खाखरलाई की जो सही बेचान की है, यदि उक्त बेचान विधि विरूद्ध या विवादित बेचान की होती तो उक्त भूमि का बेचान का नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा नहीं भरा जाता है उक्त विवादित भूमि का नामान्तरकरण की स्वीकृत तहसीलदार सिवाना द्वारा की गई। द्वारा न्यायायल मे पैरवी नहीं करने के कारण विधि अनुसार वाद पत्र का निस्तारण किया गया है। अतः प्रार्थी (वादी) का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनो अधिवक्ताओं की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन मनन किय एवं विधि के परिप्रेक्ष्य का विवेचना किया गया । मूल वाद पेशी तारीख 02.08.2024 को वादी व वादी अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है।विधि की मंशा है कि वाद पत्र का निस्तारण जवाब,तनकी व साक्ष्य के पश्चात गुणागुवणो के आधार पर किया जाना, मूल वाद को रिस्टोर किया जाने से पक्षकारान के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

लिहाजा प्रार्थीगण (वादी) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद पुनः उसी स्टेज पर रिस्टोर किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.30 10:02:35 IST
Reason: SelfAttested